ORDER SHEET [Contd] विशेष विद्युत प्र0क0103/2016.....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
22.4.2018	मेशनल लोक अदालत दिनांक 22.04.2018 परिवादी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री / किनेष्ठ यंत्री श्री गौरव शाक्य सिहत श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव अधिवक्ता उप०। अभियुक्त सिहत श्री हिरदेश शुक्ला अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण नेशनल लोक अदालत में पेश हुआ। प्रकरण में परिवाद विद्युत विभाग द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम के तहत पेश किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धारा के तहत आरोप लगाया गया है। उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री/किनष्ठ यंत्री ने अपने अधिवक्ता सिहत धारा 152 विद्युत अधिनियम के तहत आवेदन पत्र पेश कर व्यक्त किया है कि इस मामले में अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम अपराध है एवं नेशनल लोक अदालत के मान से विद्युत जर्धी राशि व शमन शुक्क जमा किया जा चुका है तथा उभयपक्ष ने व्यक्त किया है कि उनके मध्य स्वेच्छ्या पूर्वक राजीनामा हो गया है। अतएव लोक अदालत में उक्त प्रकरण समाप्त किया जावे। सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। विचारोपरांत धारा 152 विद्युत अधिनियम का आवेदन उचित होने से स्वीकार कर राजीनामा के आधार पर अभियुक्त को उक्त धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के विरूद्ध जमानती/गिरफ्तारी वारंट जारी होने की दशा में उसे अविलंब अदम तामील वापस बुलाया जाये। आगामी तिथि निरस्त हो। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मीटर विद्युत विभाग को दिया जावे। अवरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मीटर विद्युत विभाग को दिया जावे। अवरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मीटर विद्युत विभाग को विया जावे। अवरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मीटर विद्युत विभाग को विया जावे। (सुनील कांकर एड.) (धर्मेन्द कुमार पांडे एड.) (सतीश कुमार गुपा) सदस्य सदस्य पीतासीन अधिकारी ख०पी०क0-21 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद जिला मिण्ड म0प्र0	परिवादी पक्ष